



कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म०प्र०)

// निविदा विज्ञप्ति //

जिला न्यायालय परिसर, कटनी में केन्टीन एवं वाहन स्टेण्ड के संचालन के लिये वार्षिक अनुबंध हेतु पृथक-पृथक निविदायें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदा फार्म मय शर्तों के इस कार्यालय से 200/-रूपये देकर जिला नाजिर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा फार्म दिनांक 22.11.21 को दोहपर 02.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किये जावेगी तथा निविदा दिनांक 23.11.21 को सायं 05.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं ।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी / शर्तें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in तथा जिला न्यायालय कटनी के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती हैं ।


(श्यामाचरण उपध्याय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 कटनी (म०प्र०)

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

—: निविदा फार्म :—

निविदा प्रपत्र क्र.....

प्रथम पक्ष :- निविदाकर्ता
का नाम —
पता —
मोबा. नं. —

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)
—00—

जिला न्यायालय परिसर, कटनी स्थित आने जाने वाले वाहनों के लिये स्थानक स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से एक वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अध्याधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

// निर्धारित शर्तें //

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक— **22.11.2021** के **दोपहर 02.00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क **3000/- रुपये** प्रतिमाह निर्धारित होगा जो अनुबंध निष्पादन के पूर्व संपूर्ण वर्ष भर का **3000 X 12=36000/-** अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा।
3. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ वाहन स्टेण्ड का संचालन एक वर्ष के लिये किये जाने हेतु दोनो पक्षों के मध्य अनुबंध संपादित किया जावेगा। वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु एक वर्ष की वृद्धि अंतिम बोली की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा संपूर्ण राशि जमा करने पर की जा सकती है। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र द्वितीय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष होगा। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लेखित अनुक्रमांक 2 के अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करनी होगी।
4. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ **15000/- (पंद्रह हजार)** की अमानत राशि जिला न्यायाधीश कटनी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश कटनी के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी.आर. के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।

5. सफल निविदाकर्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु एक वर्ष के लिये राशि की अधिकतम बोली प्रस्तावित की जाती है।
7. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध करने की दिनांक को या उससे पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा।
8. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टेण्ड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
9. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
10. वाहन स्टेण्ड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
11. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
12. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
13. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु साईकिल स्टेण्ड परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साईकिल स्टेण्ड परिसर में कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर वाहन स्टेण्ड का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
14. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा साईकिल स्टेण्ड परिसर का निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर वाहन स्टेण्ड का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।
16. निविदाकर्ता वाहन स्टेण्ड का संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्ण में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत की कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

17. निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड तथा आस-पास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण की क्यों न हो, नहीं करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस 100/- की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
18. प्रथम पक्ष वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा, जिससे पक्षकारों तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो तथा सार्वजनिक व अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग न तो स्वयं करेगा न अन्य को करने देगा।
19. सामान्यतः प्रथम पक्ष दोपहिया वाहन/चार पहिया वाहन के लिये अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा :-

1. सायकल	-	2/- प्रतिदिन अथवा 50/- मासिक
2. दोपहिया वाहन	-	5/- प्रतिदिन अथवा 100/- मासिक
3. चार पहिया वाहन एवं अन्य	-	10/- प्रतिदिन अथवा 200/- मासिक

किन्तु न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगों को वाहन स्थानक पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।

किन्तु यह भी कि प्रथम पक्ष अधिवक्तागण के वाहन से लिये जाने वाले शुल्क की दर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा कर, जिला न्यायाधीश द्वारा शुल्क निर्धारित किया जायेगा और उस अनुसार पार्किंग शुल्क अधिवक्तागण के द्वारा देया होगा।

अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को प्रथम पक्ष को निज व्यय पर सहजदृश्य भागों पर लोक प्रदर्शित करना होगा।


20. प्रथम पक्ष के कर्मचारी वाहन स्वामियों से सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा। साथ ही वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी प्रथम पक्ष का ही रहेगा।
21. प्रथम पक्ष वाहन स्थानक के संचालन के लिये किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से अनुमोदित करायी जायेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचानपत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।
22. निविदाकर्ता आवश्यक रूप से स्टैण्ड बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
23. स्टैण्ड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
24. न्यायालय परिसर स्थित पूर्ण स्टैण्ड परिसर 'यथावत स्थिति में' उपलब्ध कराया जायेगा।
25. वाहन स्टैण्ड जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8:00 बजे से सायंकाल 7:30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
26. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकेगी।
27. सफल निविदाकर्ता द्वार निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष) के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।

28. द्वितीय पक्ष द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
29. कार्यालय जिला न्यायालय, कटनी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।


निविदाएं दिनांक **23.11.2021** के **शाम 05:00 बजे** उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेगी।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)


हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)


(अनंद द्विवेदी)
.सदस्य


.न्यायालय परिसर की यातायात
प्रबंधन समिति कटनी (म0प्र0)


(शम्भु पटेल)
.सदस्य

.न्यायालय परिसर की यातायात
प्रबंधन समिति कटनी (म0प्र0)


(विकास चौहान)
.अध्यक्ष

.न्यायालय परिसर की यातायात
प्रबंधन समिति कटनी (म0प्र0)



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म0प्र0)